By Speed post

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

नया रायपुर, दिनांक जनवरी, 2018

क्रमांक एफ 3–47/2011/12

प्रति,

कलेक्टर,
जिला जांजगीर–चाम्पा
(छत्तीसगढ)

विषय :– जिला जांजगीर–चांपा, तहसील जैजैपुर, ग्राम लोहराकोट के कुल रकबा 4.747 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज डोलोमाईट का उत्खनन पट्टा–श्री द्वारिका गुप्ता।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 15717/खनि/एम.एल./2011, जांजगीर, दिनांक 04.11.2011 एवं पत्र क्रमांक 1066/ख0लि/2015, जांजगीर, दिनांक 14.09.2015.

––:0:––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, आपके द्वारा जिला जांजगीर–चांपा, तहसील जैजैपुर, ग्राम लोहराकोट के कुल रकबा 4.747 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज डोलोमाईट का उत्खनन पट्टा स्वीकृति हेतु श्री द्वारिका गुप्ता द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–22 एवं 23 के तहत प्रस्तुत संशोधित आवेदन पत्र दिनांक 29.04.2015, राज्य शासन के निर्णय हेतु अग्रेषित किया गया है।

2/ आवेदित क्षेत्र के लिये श्री द्वारिका गुप्ता को राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 2–66/2008/12, दिनांक 24.12.2009 द्वारा श्री द्वारिका गुप्ता पक्ष में जिला जांजगीर–चांपा, तहसील जैजैपुर, ग्राम लोहराकोट के रकबा 4.747 हे0 क्षेत्र पर खनिज डोलोमाईट का पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति 02 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। पूर्वेक्षण उपरान्त आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र पर पूर्वेक्षण कार्य उपरांत खनिपट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 11.04.2011 को प्रस्तुत किया गया। पूर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज डोलोमाईट का 1.44 मिलियन टन प्रुव्हड कैटेगरी(यूएनएफसी 111) श्रेणी अन्तर्गत भण्डार आंकलित किया गया है।

3/ केन्द्रीय सरकार, खान मंत्रालय व्दारा भारत के राजपत्र संख्या 333 में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 423(अ) नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के सरल क्रमांक(xi) पर उल्लेखित आवेदित खनिज डोलोमाईट को गौण खनिज घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र(असाधारण) में अधिसूचना दिनांक 27.03.2015 में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015" का प्रकाशन किया गया है। जिसमें उल्लेखित अनुसूची–एक के भाग "ख" में अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित विभिन्न 31 गौण खनिजों को शामिल किया गया है तथा नियम–21 के अंतर्गत उन खनिजों के रियायत के स्वीकृति के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियां राज्य शासन को प्राप्त है।

4/ आवेदक श्री द्वारिका गुप्ता द्वारा जिला जांजगीर–चांपा, तहसील जैजैपुर, ग्राम लोहराकोट के कुल रकबा 4.747 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज डोलोमाईट का उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 22 के अन्तर्गत प्रारूप–नौ में संशोधित आवेदन दिनांक 29.04.2015 को प्रस्तुत किया गया है।

..................2

5/ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–6(क) एवं नियम–23(तेरह)के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नाधीन क्षेत्र में आवेदक द्वारा पूर्वेक्षण कार्य किए जाने के उपरांत डोलोमाईट खनिज पदार्थ की विद्यमानता उपदर्शित करने वाला पूर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। सहायक भौमिकी विद् एवं खनि अधिकारी, जिला जांजगीर–चाम्पा द्वारा उक्त पूर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण किया गया है।

6/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला जांजगीर–चांपा, तहसील जैजैपुर, ग्राम लोहराकोट के कुल रकबा 4.747 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज डोलोमाईट हेक्टर पर खनिज डोलोमाईट का उत्खनन पट्टा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम–21 की तालिका के सरल क्रमांक–1 एवं नियम–43 की तालिका के सरल क्रमांक–2 के तहत 10 वर्ष की कालावधि के लिए श्री द्वारिका गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया जाकर विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.01.2016 द्वारा संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से अनुमोदित उत्खनन प्लान 06 माह के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 07.10.2014 के परिप्रेक्ष्य में उत्खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु आवश्यक अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तो के अधीन लेख किया गया :–

6.1 उत्खनन पट्टाधारी द्वारा पट्टा क्षेत्र से खनन किए जाने वाले खनिज डोलोमाईट का उपयोग उपर्युक्त खनिज पर आधारित उद्योगों में किया जाएगा अथवा उपर्युक्त खनिज पर आधारित उद्योगों को विक्रय किया जाएगा।

6.2 उत्खनन पट्टाधारी द्वारा प्रत्येक वर्ष खनिज रायल्टी के 20 प्रतिशत के बराबर राशि, कलेक्टर द्वारा निर्धारित सामुदायिक विकास के कार्यो यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क आदि पर व्यय की जावेगी।

6.3 उपलब्ध क्षेत्र का खसरावार रकबा सहित विवरण निम्नानुसार है :–

आवेदक का नाम, पता तथा आवेदन दिनांक	खसरा क्रमांक	रकबा(एकड़ में)	सहमति प्राप्त भूमि स्वामी का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
श्री द्वारिका गुप्ता, पीपल चौक, बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 29.04.2015	406	2.31	छेदीलाल गोड़
	407/1	0.40	लाभो सिंह
	407/2	0.15	गुहा सिंह
	407/3	0.30	अक्ती राम – फौत
	408	0.82	झाडू सिंह
	411	0.18	बुंद राम घोबी
	413	0.14	गनपत
	414/2	0.54	साखीराम गोड़ एवं अन्य
	415/1	0.33	खीखबाई
	415/2	0.33	खीखबाई
	416	0.08	झाडू सिंह गोड़
	417	1.00	बनरू गोड़
	418	0.80	चेतन सिंह, चन्द्रिका सिंह
	419	0.80	सहनी फौत [illegible]
	420	0.70	भगवती सिंह फौत
	421/1	0.06	छबीलाल फौत
	421/2	0.10	बिरबीची
	423/1	2.09	छबीलाल
	423/2	0.30	चेतन सिंह
	423/3	0.30	चन्द्रिका सिंह
योग		**11.73**	

7/ संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 4645–48/मायनिंग–2/क्यू0पी0/एफ नंबर 36/2015, दिनांक 28.10.2016 द्वारा उक्त क्षेत्र का उत्खनन योजना का अनुमोदन किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त अनुमोदित उत्खनन योजना लगभग 03 माह 24 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

8/ जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जांजगीर–चाम्पा के पत्र क्रमांक 1640/डी0ई0आई0ए0ए0/ /ई0सी0/जांज/2016, दिनांक 09.12.2016 द्वारा श्री द्वारिका गुप्ता के पक्ष में खनिज डोलोमाईट खदान की उत्खनन क्षमता अनुमोदित उत्खनन योजना अनुसार पर्यावरण स्वीकृति सशर्त प्रदान की गई है।

9/ आवेदक श्री द्वारिका गुप्ता ने अपने पत्र दिनांक 10.07.2017 द्वारा अतिरिक्त समयावृद्धि एवं उत्खनन योजना तैयार कराने में हुए विलम्ब अवधि को माफ किए जाने का अनुरोध किया गया है।

10/ छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015(यथासंशोधित, 2016) के नियम–50(4) अनुसार राज्य सरकार द्वारा बिना नीलामी से प्राप्त उत्खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति धारक के लिये स्वामित्व की 30% की राशि जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के संदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः उन प्रकरणों में (विभागीय LoI दिनांक 05.01.2016 के पैरा–5.2 अनुसार) सामुदायिक विकास के कार्यो में व्यय किये जाने संबंधित अतिरिक्त 20% की राशि लिया जाना औचित्यपूर्ण तथा व्यवहारिक प्रतीत नहीं होने के कारण विभागीय नस्ती क्रमांक एफ 7–27/2016/12 में गौण खनिजों के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति/उत्खनन पट्टों के प्रकरणों में परस्पर सहमति से जोड़ी जाने वाली अतिरिक्त 20% राशि की बाध्यता को समाप्त करने बाबत् निर्णय लिया गया है। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में पैरा–6.2 में उल्लेख अनुसार प्रकरण में लगाई गई अतिरिक्त शर्त/कंडिका को विलोपित/निस्प्रभावी किया जाता है।

11/ छत्तीसगढ़ राजपत्र(असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 23.03.2016 द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015(यथासंशोधित, 2016) के नियम 23(क)(2)(ख) एवं नियम–43 की तालिका के सरल कमांक–2 अनुसार ''अनुसूची–एक के भाग–ख में विनिर्दिष्ट खनिज हेतु उत्खनिपट्टा की कालावधि पचास वर्ष की गई है।''

12/ अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राज्य शासन एतद्द्वारा अनुमोदित उत्खनन योजना प्रस्तुत कराने में हुए लगभग 03 माह 24 दिवस विलम्ब अवधि को माफ करते हुए श्री द्वारिका गुप्ता के पक्ष में जिला जांजगीर–चांपा, तहसील जैजैपुर, ग्राम लोहराकोट के कुल रकबा 4.747 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज डोलोमाईट का उत्खननपट्टा नीचे दर्शाये गये विवरण एवं शर्तो के अधीन स्वीकृत करता है :–

12.1 स्वीकृत क्षेत्र का विवरण – पैरा–6 के बिन्दु क्रमांक–6.3 की तालिका में अंकित विवरण अनुसार उपलब्ध रकबा 4.747 हेक्टर क्षेत्र

12.2 खनिज का नाम – डोलोमाईट

12.3 उत्खनिपट्टा की अवधि – 50 वर्ष (पचास वर्ष)

12.4 संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्वीकृत क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. से सर्वेक्षण/सीमांकन सुनिश्चित किया जाये ।

12.5 रायल्टी एवं डेडरेन्ट, खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, यथासंशोधित, 2015 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015(यथासंशोधित) के अधीन होगा।

12.6 आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015(यथासंशोधित) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

12.7 प्रश्नाधीन भूमि पर यदि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होते हों तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही लीज डीड का निष्पादन किया जाएगा ।

12.8 जल प्रदूषण(निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नियमानुसार जो भी अन्य अनुमति प्राप्त किए जाने की आवश्यकता हो, तत्संबंधी अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य अनुमति प्रदान किया जाये।

12.9 संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा लगाई शर्त अनुसार लीज डीड के निष्पादन के पूर्व छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 29 के तहत आवेदक द्वारा Financial Asssurance (वित्तीय आश्वासन) की राशि नियमानुसार संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर को जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12.10 संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर के पत्र क्रमांक 4645–48/मायनिंग–2/क्यू0पी0/एफ नंबर 36/2015, दिनांक 28.10.2016 द्वारा अनुमोदित क्वारी प्लान में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जायेगा तथा इसका उल्लेख उत्खननपट्टा अनुबंध में सम्मिलित किया जाये।

12.11 जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, कोरबा के पत्र क्रमांक 1640/डी0ई0आई0ए0ए0/ /ई0सी0/जांज/2016, दिनांक 09.12.2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों का पालन किया जायेगा तथा इसका उल्लेख उत्खननपट्टा अनुबंध में सम्मिलित किया जाये।

12.12 भारत सरकार, खान मंत्रालय, नई दिल्ली एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन बाध्यकारी होगा ।

12.13 उत्खनन पट्टाधारी द्वारा पट्टा क्षेत्र से खनन किए जाने वाले खनिज डोलोमाईट का उपयोग उपर्युक्त खनिज पर आधारित उद्योगों में किया जाएगा अथवा उपर्युक्त खनिज पर आधारित उद्योगों को विक्रय किया जाएगा।

13/ यदि आवेदक को उपरोक्त शर्तें मान्य हो तो संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को Financial Asssurance(वित्तीय आश्वासन) प्रस्तुत कर दिए जाने की प्रमाणित जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही आदेश प्राप्त होने के 90 दिवस के भीतर अनुबंध(लीज डीड) निष्पादित किया जाये। निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध(लीज डीड) में इस आदेश के पैरा–12 में उल्लिखित शर्तो का समावेश अतिरिक्त कंडिका के रूप में किया जाये तथा **अनुबंध की एक प्रति इस विभाग को भी भेजी जाये** ।

14/ अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवेदक पर खनिज राजस्व की कोई राशि बकाया तो नहीं है ।

15/ अनुबंध निष्पादन हो जाने के बाद यदि उत्खननपट्टा को निरस्त करने की स्थिति निर्मित होती है तो आवेदक द्वारा किए गए किसी व्यय की भरपाई हेतु राज्य शासन की कोई जवाबदारी नहीं होगी ।

16/ उत्खनिपट्टा क्षेत्र में कार्य करने के लिए भू–प्रवेश हेतु अनुमति कलेक्टर से तत्संबंधी अनुशंसा प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रदान की जाये ।

संलग्न :– नक्शा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

सही/-

(संजय कनकने)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3–47/2011/12 रायपुर, दिनांक जनवरी, 2018

2 FEB 2018

प्रतिलिपि :–

1. उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरों, क्षेत्रीय कार्यालय, विधानसभा के पास महालेखाकार भवन परिसर, रायपुर(छत्तीसगढ़),
2. डायरेक्टर आफ माईन्स सेफ्टी, सीपत रोड, साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड परिसर, बिलासपुर(छत्तीसगढ़),
3. संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, द्वितीय तल, ब्लॉक–4, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर(छत्तीसगढ़),
4. सदस्य सचिव, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जांजगीर–चाम्पा, कार्यालय कलेक्टर, जिला जांजगीर–चाम्पा(छत्तीसगढ़)
5. श्री द्वारिका गुप्ता, पीपल चौक बिल्हा, जिला बिलासपुर(छत्तीसगढ़)
6. आदेश फोल्डर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1/2/18

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

नजरी नक्शा (चालू शीट)

ग्राम - लोहराकोट प.ह.नं. ०३

रा.नि.मं. व तह. जैजैपुर

जिला - जांजगीर - चाम्पा छ.ग.

स्केल १६" = १ मील

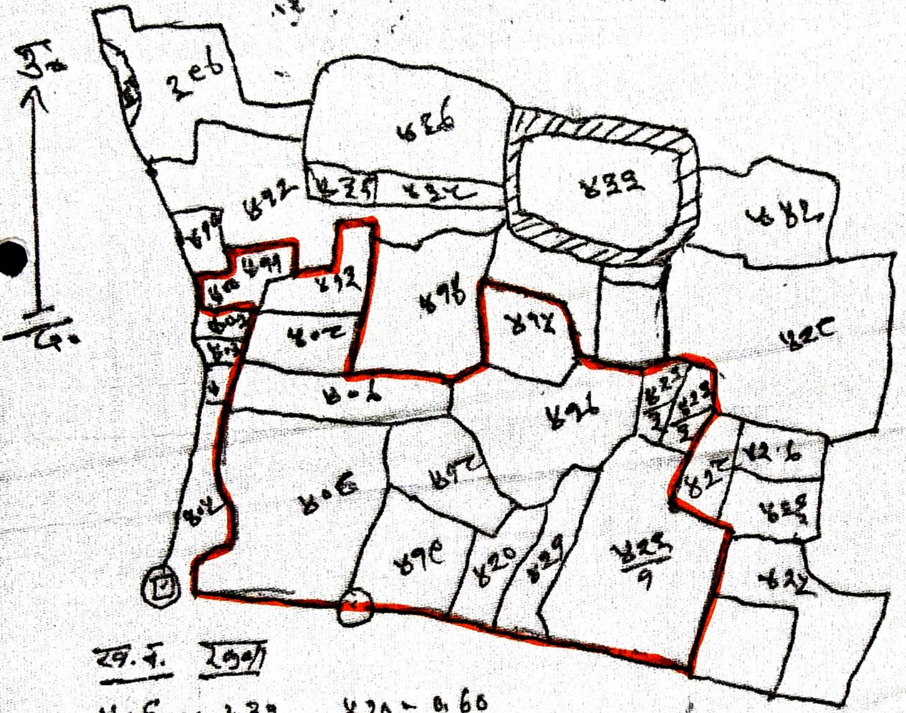

आवेदक का नाम, पता तथा आवेदन दिनांक	खसरा क्रमांक	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)
श्री द्वारिका गुप्ता, पीपल चौंक, बिल्हा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ 29.04.2015	406	2.31
	407/1	0.40
	407/2	0.15
	407/3	0.30
	408	0.82
	411	0.18
	413	0.14
	414/2	0.54
	415/1	0.33
	415/2	0.33
	416	0.08
	417	1.00
	418	0.80
	419	0.80
	420	0.70
	421/1	0.06
	421/2	0.10
	423/1	2.09
	423/2	0.30
	423/3	0.30
योग		11.73

ख.नं. रकबा

४०६ - २.३१
४०७/१ - ०.४०
४०७/२ - ०.१५
४०७/३ - ०.३०
४०८ - ०.८२
४११ - ०.१८
४१३ - ०.१४
४१४/२ - ०.५४
४१५/१ - ०.३३
४१५/२ - ०.३३
४१६ - ०.०८
४१७/१ - १.००
४१८ - ०.८०
४१९ - ०.८०
४२० - ०.६०
४२१/१ - ०.०६
४२१/२ - ०.१०
४२३/१ - २.०९
४२३/२ - ०.३०
४२३/३ - ०.३०
योग ११.६३ एकड़

पटवारी 1/1/2016
एस.आर.सिदार
प.ह.नं.-03
रा.नि.मं.व तह.-जैजैपुर
जिला-जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)

(व्ही. के. सक्सेना)
उप संचालक (भौमिकी)
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर छ.ग.

1/2/18
संजय कनकने
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय रायपुर